स्पाईसेस बौर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन, एन.एच. बाइपास,
पालारिवट्टम पी.ओ., कोच्चिन – 682025
फोन 0484-2333610 से 616, 2347965

अधिसूचना सं. 52/24/प्रशासन/नियुक्ति/02/2020-21-भाग (1)

स्पाइसेस बोर्ड में परामर्शदाता (विपणन व निर्यात संवर्धन) की नियुक्ति

विपणन व निर्यात संवर्धन में परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करने हेतु स्पाइसेस बोर्ड ने एक वर्ष की अवधि के लिए, जिसे अगले एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, अनुभवी औद्योगिक व्यवसायियों के साथ-साथ सेवानिवृत्त अधिकारियों, जिन्होंने केंद्रीय/राज्य सरकार संस्थाएँ अर्थात् विभागों/सार्वजनिक उपक्रम/स्वायत्त निकाय/वस्तु बोर्डों के अधीन वेतनमान-8-10,11,12-13 में सेवा की हैं से भी आवेदन आमंत्रित करता है। परामर्शदाता को नीचे दिए गए स्पाइसेस बोर्ड के मुख्यालय/प्रादेशिक कार्यालयों के स्थानों में तैनात किया जाएगा। परामर्शदाता का कार्य विवरण संलग्नक 1 में दिया गया है। परामर्शदाता की नियुक्ति के विस्तृत निबंधन व शर्तें संलग्नक 2 के रूप में संलग्न है।

1	अपेक्षित परामर्शदाता	श्रेणी 1: औद्योगिक व्यवसायी | कुल संख्या 9 श्रेणी 2: सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारी (*स्पाइसेस बोर्ड को उपर्युक्त श्रेणी में उल्लिखित परामर्शदाताओं की संख्या में बदलाव लाने का अधिकार है।)
2	पात्रता	
	श्रेणी 1: मसाला/कृषि/बागवानी पण्य वस्तुओं या एफएमसीजी उत्पादों के विपणन और निर्यात संवर्धन गतिविधियों में औद्योगिक व्यवसायियों का कम से कम पाँच साल का अनुभव। उम्मीदवारों के पास विषयों की गहराई से जांच करने के मज़बूत स्वभाव के साथ उत्कृष्ट संचार और अंतर व्यक्तिगत कौशल होना चाहिए।	
	शैक्षिक योग्यता	व्यवसाय प्रशासन निष्णात या समतुल्य
	आयु सीमा	आवेदन की अंतिम तिथि को 63 साल से कम हो।
	श्रेणी 2: सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी जिन्होंने किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार सेवा, अर्थात् विभागों/ सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/वस्तु बोर्डों में सेवा की हो साथ ही मसालों/बागान फसलों/कृषि वस्तुओं या कृषि विस्तार गतिविधियों के 'विपणन एवं निर्यात संवर्धन' में कम से कम पाँच साल का अनुभव हो। क) रु. 4800/- से 5400** के ग्रेड वेतन के साथ पूर्व-आशोधित वेतनमान के बराबर वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर 8-10 में या ख) रु. 6600/- ** के ग्रेड वेतन के साथ पूर्व-आशोधित वेतनमान के बराबर वेतन मैट्रिक्स का स्तर 11 में या ग) रु. 7600/- के ग्रेड वेतन के साथ पूर्व-आशोधित वेतनमान के बराबर वेतन मैट्रिक्स का स्तर 12 और 13 में (** स्पाइसेस बोर्ड उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक वेतन स्तर के अधीन परामर्शदाताओं की संख्या तय करने का अधिकार रखता है। उम्मीदवारों के पास विषयों की गहराई से जांच करने के मजबूत स्वभाव के साथ उत्कृष्ट संचार और अंतर-व्यक्तिगत कौशल होना चाहिए ।	
	शैक्षिक योग्यता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यलय से स्नातक

	आयु सीमा	आवेदन की अंतिम तिथि को 63 साल से कम हो।
3	कार्यभार का स्थान	कोच्ची के मुख्यालय और मुंबई, ऊँझा/जोधपुर, बाराबंकी/गुना, निज़ामाबाद, गुंटूर, बंगलुरु, श्रीनगर और नई दिल्ली में स्थित स्पाइसेस बोर्ड के प्रादेशिक कार्यालय
4.	पारिश्रमिक	
	श्रेणी 1	प्रतिमाह 50,000 रुपए/- (नियत)
	श्रेणी 2	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 8-10 : प्रतिमाह 40,000/- रु. (नियत)
		स्तर 11: 50,000/- रु. प्रतिमाह (नियत)
		स्तर 12 और 13 : 60,000/- रु. प्रतिमाह (नियत)

चयन का तरीका:

श्रेणी 1 और श्रेणी 2 :

शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अंकों का वेटेज: अनुभव, योग्यता और क्षेत्र की समझ- 50 अंक, साक्षात्कार और प्रस्तुति - 50 अंक।

स्पाइसेस बोर्ड को लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के पहले शोर्टलिस्ट की गई उम्मीदवारों को पूर्व सूचना देकर यहाँ उल्लिखित दो श्रेणियों के वेटेज अंकों का संशोधन करने का अधिकार रखता है।

साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार किया जाएगा और बोर्ड की अपेक्षा के अनुसार उन्हें परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया जाएगा। पैनल की वैधता दो वर्ष होगी और अतिरिक्त रूप से आवश्यक परामर्शदाताओं को अनुमोदित पैनल से नियुक्त किया जाएगा।

व्यवसायिक अनुभव वाले उम्मीदवार और सेवानिवृत्त सरकारी पदधारी, जिनके पास उपरोक्त योग्यता और अनुभव, अच्छा स्वास्थ्य है और जो तुरंत कार्यभार ग्रहण करने केलिए इच्छुक हैं, वे योग्यता और अनुभव के समर्थन में संगत दस्तावेजों के साथ दिए गए प्रारूप (श्रेणी 1 के लिए अनुलग्नक-3 और श्रेणी 2 के लिए अनुलग्नक- 4) में सचिव, स्पाइसेस बोर्ड, सुगंध भवन, एन एच बाई पास, पालारिवट्टम. पी.ओ. कोच्ची- 682 025 (फोन-0484-2333610 से 616) को 03 फरवरी 2024 को या उससे पहले अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को आवेदन पत्र और अन्य सभी संलग्नक के कवर/लिफाफे पर विधिवत रूप से "स्पाइसेस बोर्ड में परामर्शदाता (विपणन एवं निर्यात संवर्धन) के पद के लिए आवेदन" लिखना चाहिए।

जो आवेदन निर्धारित प्रारूप में अर्थात अधिसूचना के अनुलग्नक-3 (औद्योगिक व्यावसायिकों के लिए) और अनुलग्नक 4 (सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों) के अनुसार समर्थक दस्तावेजों के साथ प्राप्त नहीं होंगे, उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों ने अधिसूचना दिनांक 04.07.2024 के तहत स्पाइसेस बोर्ड में संविदा आधार पर सलाहकार (विपणन एवं निर्यात संवर्धन) के पद पर पहले ही आवेदन कर दिया है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इस चयन में उनके आवेदनों पर विचार किया जाएगा।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अद्यतन सूचना के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.indianspices.com पर अधिसूचना/अवसर देखें और तीसरे पक्ष की वेबसाइटों की जानकारी पर भरोसा न करें ।

सचिव

दिनाकं 08.10.2024

संलग्नक-1

कार्य विवरण

1) बोर्ड के प्रादेशिक कार्यालय, राज्य सरकार प्राधिकारियाँ, उत्पादकों, व्यापारियों/निर्यातकों के साथ समन्वय करके क्षेत्र से मसालों के निर्यात को बढ़ावा देना और निर्यात के लिए मसालों की गुणवत्ता सुधारना और विभाग की आवश्यकता के अनुसार टिप्पणियों/निवेश आदि पर प्रासंगिक नोट तैयार करना। इलायची(छोटी और बड़ी) के घरेलू विपणन के साथ भी यही स्थिति है।

2) स्वतंत्र रूप से टिप्पण और प्रारूप तैयार करना और ई-फायलिंग प्रक्रियाओं को बनाए रखना और औपचारिक उत्तरों के लिए ई-मेल/अन्य संचार के माध्यम से मांगी गई टिप्पणियों पर तुरंद प्रतिक्रिया देना।

3) राज्य जैविक मिशन, अन्य पण्य बोर्ड, राज्य बागवानी और अन्य संबंधित विभागों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, केंन्द्रीय अनुसंधान संस्थाओं, केन्द्रीय सरकारी अभिकरणों जैसे सीमा शुल्क, डीज़ीएफटी, ऊसीजीसी, आदि, निर्यातक संघ और व्यापार मंडल(आईसीसी, एफआईसीसीआई, एफआईएनईआर, एसोचैम,सीआईएल, पीएचडी आदि, अभिकरणों के साथ निकट सहयोग में काम करना और क्षेत्र के पंजीकृत किसान उत्पादक कंपनियाँ और औटरीच कार्यक्रमों में उन्हें शामिल कराना ।

4) निर्यात के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्पादक समूहों, निर्यातकों , प्रसंस्करणों, अन्य हितधारकों के साथ समन्वय करना।

5) क्षेत्र के मसाला निर्यातकों के शिकायतों के समाधान के लिए एक हेल्प डेस्क का आयोजन करना। क्षेत्र में मसाला क्षेत्र के हितधारकों के साथ लगातार संपर्क करना, मुद्दे के समाधान के लिए रणनीति विकसित करना।

6) निर्यातकों/किसान उत्पादक कंपनियों के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक, कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, मसाला निर्यात के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम आदि जैसे क्षमता निर्माण कार्यक्रम काआयोजन एवं समर्धन करना और क्षेत्र में निर्यातकों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

7) नए निर्यातकों, ग्रामीण स्थानों में स्थित निर्यातकों और विशेष रूप से स्पाइसेस पार्क के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, प्रमुख मसाला उत्पादक क्षेत्रों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों जैसे सीएफटीआरआई, आईआईपी, आईआईएसआर, एऩआरसीएसएस आदि से संबंधित निर्यातकों के लिए प्रदर्शन आयोजित करना ।

8) निर्यात के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए पौद्योगिकी विकास संस्थाऩों के परामर्श से क्षेत्र में उगाए जाने वाले मसालों के निर्यात को बढ़ाने के लिए आवश्यक रणनीति तैयार करना।

9) सरकार की सुविधाओं/योजनाओं के लिए केंन्द्रीय/राज्य सरकार के संसाधनों का उपयोग करके पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड वैन जैसी बुनियादी सुविधाएँ बनाने के लिए और वस्तुओं के परिवहन के लिए निर्यातकों/ लॉजिस्टिक प्रदाताओँ के साथ संपर्क करना।

10) एईपी के राज्य केंद्रक अभिकरण के सहयोग से कृषि निर्यात नीति(एईपी) के तहत क्षेत्र के चिन्हित मासाला समूहों की गतिविधियों का समन्वव एवं निगरानी करना।

11) क्षेत्र से जीआई(भौगोलिक संकेत) टैग वाले मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रणनीति विकसित करना।

12) बाज़ार संपर्क स्थापित करने में एफपीसी और निर्यातकों को सहायता प्रदान करना।

13) क्षेत्र के निर्यातकों के बीच बोर्ड के योजनाओं को लोकप्रिय बनाना। मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने और निर्यात में मसालों की गुणवत्ता को उजागर करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन अभियान शुरु करना और अभिकल्प करना।

14) निम्नलिखित पर जानकारी एकत्रित करके डिजिटेल डेटाबेस तैयार करना-

1. क्षेत्र में मसाला प्रसंस्करण/मूल्य संवर्धन/पेकेजिंग आदि के लिए मशीनरी के आपूर्तिकर्ताओं की सूचि।
2. क्षेत्र मे उगाए जाने वाले मसालों के व्यापार की जानकारी जैसे डब्ल्युटीओ, आईटीसी और अन्य प्रामाणिक वेबसाइट से प्रमुख निर्यातक देशों, प्रमुख आयातक देशों, टारिफ बाधाएं, गैर-टारिफ बाधाएं आदि।
3. उगाए जाने वाले मुख्य मसालों के व्यापार/बाज़ार की जानकारी जैसे साप्ताहिक/पाक्षिक अंतराल पर क्षेत्र के प्रमुख संयोजक केन्द्रों/एपीएमसी बाज़ारों से बाज़ार आवक, विविधता/ग्रेड, कीमत आदि।
4. क्षेत्र में मसालों के विकास, लाभार्थियों की सूचि के साथ क्षेत्र में केन्द्र/राज्य अभिकरणों द्वारा कार्यान्वित बाज़ार/निर्यात संवर्धन के लिए योजनाएं।
5. क्षेत्र में उगाए जाने वाले मसालों के कटाई उपरांत कार्यों के संबंध में मुद्दे/चुनौतियाँ/ निर्यात में गुणवत्ता और उपचारात्मक उपाय का सुझाव देना।
6. क्षेत्र में संभावित आपूर्तिकर्ताओं के रूप में एफपीसी/किसान समूहों(प्रत्येक मसाले के लिए) की सूची।
7. क्षेत्र में मसालों का प्रामाणिक जैविक उत्पादन करने वाले एफपीसी/किसान समूह।

संदर्भ/नए उद्यमियों के उपयोग/निर्यातकों के लिए क्षेत्र में उगाए जाने वाले मसालों के लिए मसाला प्रसंस्करण इकाइयों, मूल्य संवर्धन इकाईयों(स्पाइस पाउडर, मसाला पाउडर, पूरे उपभोक्ता पैक में मसाला, मसाले का तेल/मसाला तैलीराल, आदि) कि स्थापना के लिए बैक योग्य परियोजना तैयार करना।

15) स्पाइसेस पार्क और गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं के अधीन उपलब्ध सुविधाओं के अधिकतम उपयोग के लिए आवश्यक कदमों को लागु करना।

16) स्पाइसेस बोर्ड के मुख्यालय/प्रादेशिक कार्यालय द्वारा सैंपे जाने पर कोई अन्य कार्य और किसी भी आधिकारिक यात्रा/दौरे में भाग लेने के लिए तैयार होना चाहिए।

****

संलग्नक - 2

स्पाइसेस बोर्ड में परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए निबंधन व शर्तें

1. सेवानिवृत्त अधिकारियों के मामले में परामर्शदाता का कुल मासिक वेतन और पेंशन महंगाई भत्ते की वर्तमान दर पर गणना किए गए अंतिम आहरित वेतन से अधिक नहीं होगी।

2. नियुक्ति की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी और उनके प्रदर्शन के आधार पर आवश्यकता के अनुसार एक ओर वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है।

3. परामर्शदाता को महंगाई भत्ता, परिवहन सुविधा, आवासीय व्यवस्था, निजी स्टाफ, सीजीएचएस तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि जैसे किसी भी प्रकार के भत्ते या आवास- सुविधा प्राप्त होने के हकदार नहीं होंगे।

4. साक्षात्कार में भाग लेने या इसके पूरा होने के लिए कोई यात्रा भत्ता / महंगाई भत्ता ग्राह्य नहीं होगा। फिर भी, यदि बोर्ड के कार्यालयीन काम के सिलसिले में, उन्हें देश के अंदर यात्रा करना अपेक्षित है तो, जिस ग्रेड से वे सेवानिवृत्त हुए थे, उसी ग्रेड के नियमित पदाधिकारी केलिए ग्राह्य यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते का, सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, भुगतान किया जाएगा।

5. कार्य समय: परामर्शदाता निर्धारितानुसार कार्यालय के साधारण कार्य समय का अनुसरण करेगा (अर्थात् सुबह 9.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक)। वैसे, अनिवार्य मामलों में, उनको समयबद्ध कार्य को पूरा करने के लिए शनिवार और कार्यालय समय के बाद भी काम करना पड़ सकता है।

6. पेंशन का आहरण: परामर्शदाता के रूप में नियुक्त एक सेवानिवृत्त अधिकारी परामर्शदाता के रूप में अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान पेंशन और पेंशन पर महंगाई राहत आहरित करना जारी रखेगा। परामर्शदाता के रूप में उनकी नियुक्ति को पुनर्नियोजन मामले के रूप में नहीं माना जाएगा।

7. अवकाश: यथानुपात आधार पर परामर्शदाता एक कलेंडर वर्ष बारह (12) दिनों के अवकाश केलिए पात्र होंगे। परामर्शदाताओं को अनुमेय अवकाश की अधिकता में अनुपस्थिति की अवधि केलिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, अनुपयुक्त अवकाश को न अगले वर्ष केलिए अग्रेनीत किया जाएगा, न ही उसका नकदीकरण किया जाएगा।

8. स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस): ग्राह्य के अनुसार, टीडीएस को परामर्शदाता के मासिक पारिश्रमिक से काट दिया जाएगा। मांग करने पर, बोर्ड द्वारा टीडीएस प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

9. परामर्शदाता के रूप में नियुक्त उम्मीदवारों को स्पाइसेस बोर्ड के साथ परामर्श अवधि के दौरान कोई अन्य कार्यभार संभालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10. स्पाइसेस बोर्ड के साथ उनके कार्य की अवधि के दौरान और उसके बाद भी, यह संभावना है कि वे महत्वपूर्ण / गोपनीय प्रकृति की कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वे अपने कार्य की

अवधि के दौरान उनके द्वारा एकत्रित की गई कोई भी जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति से प्रकट नहीं करेंगे, जो उसे जानने/प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं है।

11. स्पाइसेस बोर्ड, जरूरत पड़ने पर, कोई नोटिस जारी किए बिना या कोई कारण बताए बिना, चयन प्रक्रिया को संशोधित / परिवर्तित / प्रतिबंधित / बढ़ाने / रद्द करने का अधिकार रखता है। बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और इस मुद्दे के खिलाफ किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

नियुक्ति का समापन:

स्पाइसेस बोर्ड निम्नलिखित स्थितियों में परामर्शदाता की नियुक्ति समाप्त करेगा:

(क) परामर्शदाता निर्दिष्ट कार्य करने में असमर्थ हो
(ख) कार्य की गुणवत्ता बोर्ड की संतुष्टि के अनुरूप नहीं है
(ग) बोर्ड द्वारा तय किए गए अनुसार लक्ष्यों की समय पर उपलब्ध कराने में परामर्शदाता विफल रहता है।
(घ) परामर्शदाता में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का अभाव पाया जाता है।
नोट: बोर्ड को पास परामर्शदाता को पंद्रह (15) दिनों की लिखित सूचना प्रदान करते हुए नियुक्ति समाप्त करने का अधिकार रखता है। यह समाप्ति, ऐसी सूचना के वितरण के पंद्रह (15) दिनों के पूरा होने के बाद ठीक अगले दिन से प्रभावी होगी।

****

संलग्नक - 3

श्रेणी 1- **औद्योगिक पेशेवर**

स्पाइसेस बोर्ड में परामर्शदाता की नियुक्ति (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग) का आवेदन पत्र

हाल के पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएँ

1	आवेदन किया गया पद का नाम (आवेदन किया गया पद ✓ करें)	परामर्शदाता: श्रेणी 1- औद्योगिक पेशेवर	
2	पूरा नाम (बडे अक्षरों में)		
3	लिंग	पुरुष ▯ स्त्री ▯ ट्रान्सजेन्डर ▯	
4	पिता/पति का नाम		
5	जन्म तिथि		
6	संपर्क विवरण	मोबाईल नं/टेलीफोन नं	
		ई-मेल आई डी	
7	संपर्क के लिए पता		
		पिन कोड	
8	आवेदन की तिथि के अनुसार आयु		
9	शैक्षिक योग्यता (प्रमाणपत्रों की स्वतः अनुप्रमाणित प्रति अनुलग्न करें)		
10	अनुभव एवं उपब्धियाँ (समर्थक दस्तावेज़ों के साथ विवरण)		
11	कंप्यूटर ज्ञान के विवरण		
12	नीचे दिए गए फॉर्मेट में अनुभव का संक्षिप्त विवरण एक अलग शीट में- पदनाम वार (कृपया समर्थक दस्तावेज़ संलग्न करें)		

क्रमांक	पदनाम और कार्यालय जिसमें सेवा प्रदान की गई	विभाग / अनुभाग	अवधि		कार्य की प्रकृति	कफियत
			से	तक		

13	पोस्टिंग की प्राथमिकता (कार्य स्थान के लिए पहले पृष्ठ पर क्रम संख्या 3 देखें)					स्थान
					प्राथमिकता 1	
					प्राथमिकता 2	
					प्राथमिकता 3	

मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत की गई सभी जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास क अनुसार सच और सही है। मैं समझता/समझती हूँ और सहमत हूँ कि चयन/साक्षात्कार के पहले या बाद में किसी भी समय उपरोक्त दी गई जानकारी झूठी या गलत/अपूर्ण पाई गई या अपात्रता पाई जाने की स्थिति में मेरी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा और में स्पाइसेस बोर्ड के निर्णय पर बाध्य रहूँगा/रहूँगी। मैंने उपरोक्त सभी निबंधन और शर्तें पढ़ लिया है और मैं संविदा आधार पर परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए सभी निबंधन और शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।

हस्ताक्षर :
(आवेदक का पूरा नाम):

स्थान :
तारीख:

संलग्नक-4

श्रेणी 2 - परामर्शदाता सेवानिवृत्त वैज्ञानिक

स्पाइसेस बोर्ड में परामर्शदाता की नियुक्ति (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग) का आवेदन फाॅर्म

हाल के पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएँ

1	आवेदन किया गया पद का नाम (आवेदन किया गया पद ✓ करें)	परामर्सदाता - सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी (वेतन मैट्रिक्स)	
		स्तर 8-10	
		स्तर 11	
		स्तर 12 और 13	
2	पूरा नाम (ब्लॉक अक्षरों में)		
3		पुरुष ☐ स्त्री ☐ ट्रेन्जेन्डर ☐	
4	पिता/पति का नाम		
5.	जन्म तिथि		
6	संपर्क विवरण	मोबाईल नं/टेलीफोन नं	
		ई-मेल आई डी	
7	संपर्क के लिए पता		
		पिन कोड	
8	आवेदन की तिथि के अनुसार आयु		
9	शैक्षिक योग्यता (प्रमाणपत्रों की स्व अनुप्रमाणित प्रति अनुलग्न करें)		
10	अनुभव एवं उपब्धियाँ (समर्थक दस्तावेज़ों के साथ विवरण)		
11	सरकारी सेवा में शामिल होने की तिथि		

12	सेवानिवृत्ति की तिथि	
13	पदनाम एवं कार्यालय जहां से सेवानिवृत्त हुए	
14	अंतिम आहरित वेतन	
15	पी.पी.ओ. सं. (कृपया पी.पी.ओ. की प्रति संलग्न करें)	
16	मासिक पेंशन	
17	कंप्यूटर ज्ञन का विवरण	
18	नीचे दिए गए फॉर्मेट में अनुभव का संक्षिप्त विवरण एक अलग शीट में- पदनाम वार (कृपया समर्थक दस्तावेज़ संलग्न करें)	

क्रमांक	पदनाम और कार्यालय जिसमें सेवा प्रदान की गई	विभाग / अनुभाग	अवधि		कार्य की प्रकृति	कफियत
			से	तक		

13	पोस्टिंग की प्राथमिकता (कार्य स्थान के लिए पहले पृष्ठ पर क्रम संख्या 3 देखें)	स्थान
	प्राथमिकता 1	
	प्राथमिकता 2	
	प्राथमिकता 3	

मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत की गई सभी जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास क अनुसार सच और सही है। मैं समझता/समझती हूँ और सहमत हूँ कि चयन/साक्षात्कार के पहले या बाद में किसी भी समय उपरोक्त दी गई जानकारी झूठी या गलत/अपूर्ण पाई गई या अपात्रता पाई जाने की स्थिति में मेरी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा और में स्पाइसेस बोर्ड के निर्णय पर बाध्य रहूँगा/रहूँगी। मैंने उपरोक्त सभी निबंधन और शर्तें पढ़ लिया है और मैं संविदा आधार पर परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए सभी निबंधन और शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।

स्थान : हस्ताक्षर :
तारीख: (आवेदक का पूरा नाम):